

उत्पाद प्रपत्र – 27 ऊं

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत साहेबगंज जिला में देशी/मसालेदार देशी शराब के भण्डारण एवं
थोक बिक्री की अनुज्ञाप्ति

(केवल झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिंग, राँची के लिए)

इसके द्वारा झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची, जिन्हें इसमें अनुज्ञाधारी
कहा गया है, को साहेबगंज जिला की देशी शराब/मसालेदार देशी शराब/कम्पोजिट दुकान के
अनुज्ञाधारियों को देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक आपूर्ति के लिए झारखण्ड उत्पाद
अधिनियम, 1915 की धारा-20 के उपबन्धों एवं इसमें आगे बताई गई शर्तों के अधीन उपायुक्त के
द्वारा दिनांक- 1 - 10 - 2013 से 31 - 3 - 2014 के लिए निम्नांकित शर्तों के तहत
अनुज्ञाप्ति प्रदान की जाती है, यथा –

शर्तें

- 1- इस अनुज्ञाप्ति के अधीन बेची गई शराब आयुक्त उत्पाद द्वारा विहित मानक के अनुसार औसतन
अच्छी किस्म की होगी।
- 2- अनुज्ञाधारी झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 1915 के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनाई गई नियम से
जहाँ तक उनका उनसे संबंध हो आबद्ध रहेगा।
- 3- अनुज्ञाधारी जिस जिला के लिए अनुज्ञाप्ति प्राप्त करेगा उस जिला हेतु निर्धारित देशी
शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक बिक्री के पूर्व जिला के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा
पर ₹० २/- प्रति एल०पी०लीटर की दर से अनुज्ञाप्ति शुल्क एकमुश्त अग्रिम जमा करेगा। यदि
वित्तीय वर्ष में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक आपूर्ति होती है तो न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक
की गयी आपूर्ति की मात्रा पर उपरोक्त दर से थोक अनुज्ञाप्ति शुल्क देय होगा।

- 4- जिस जिला के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अनुज्ञाप्ति प्राप्त करेगा उस जिला हेतु विनिर्दिष्ट प्रक्षेत्र के अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त विनिर्माणशाला के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पास के जरिए विनिर्माणशाला से झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम में देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का परिवहन किया जायेगा ।
- 5- इस अनुज्ञाप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री केवल उन्हीं व्यक्तियों/अनुज्ञाप्ति प्राप्त खुदरा विक्रेताओं के साथ की जाएगी जो जिले के अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा हस्ताक्षरित पारक प्रस्तुत करेंगे ।
- 6- इस अनुज्ञाप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का संचय एवं बिक्री के लिए मदिरा का निर्गमण प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा । अनुज्ञाधारी उनकी सहायता के लिए प्रत्येक थोक

:: 2 ::

- गोदाम में अपना प्रतिनिधि/कर्मचारी रखेगा, जहाँ से खुदरा अनुज्ञाधारियों को निर्धारित दर पर देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का निर्गमण जिला उत्पाद कार्यालय से निर्गत पारक के आधार पर किया जाएगा ।
- 7- देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की खुदरा अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा क्रय किये गये शराब के मूल्य की राशि का भुगतान झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को किया जाएगा तथा प्राप्त राशि के बदले झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्राप्ति रसीद निर्गत की जाएगी ।

8- इस अनुज्ञाप्ति के अधीन बेची जानेवाली देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की शक्ति वही होगी जैसा कि राजस्व पर्षद्, झारखण्ड समय-समय पर नियत करें ।

9- अनुज्ञाधारी द्वारा इस अनुज्ञाप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर न्यूनतम 15 दिनों का स्कन्ध हमेशा रखा जाएगा । विशेष परिस्थिति में इस संबंध में विचलन आयुक्त उत्पाद के आदेश से ही सम्भव होगा । जब कभी विहित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम स्कन्ध हो तब अनुज्ञाधारी विहित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के अनुरूप स्कन्ध शीघ्र पूरा कर देगा । यदि अनुज्ञाधारी जिला के भण्डागार के प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी से ऐसा करने के लिए सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर ऐसा नहीं करता है तो वह एसे दण्ड का भागी होगा जैसा आयुक्त उत्पाद द्वारा ठीक समझा जाएगा ।

10- अनुज्ञाधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्पाद अनुज्ञाप्ति पर लागू सामान्य शर्तों का सम्यक रूप से और निष्ठा पूर्वक पालन करेगा ।

- 11- अनुज्ञाधारी आयुक्त उत्पाद द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जानेवाले सभी सामान्य एवं विशेष आदेश से आबद्ध रहेगा।
- 12- अनुज्ञाधारी देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री का लेखा-जोखा अलग-अलग रखेगा एवं खुदरा विक्रेता के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।
- 13- अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मधपान की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।
- 14- अनुज्ञाधारी देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की प्राकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
- 15- अनुज्ञाधारी राज्य में लागू सभी संबंधित विधि/नियम/अधिसूचना/संकल्प एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करेगा।
- 16- अनुज्ञाधारी राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवस को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।
- 17- अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कारवाई की जाएगी।

उपायुक्त साहेबगंज के संलिङ्ग आडेप
दिनांक १५.५.२०१५ हाप उत्पाद अपत्र २१ दंड
वर्ष २०१५-१६ के लिए नवीकृत।

उपायुक्त
साहेबगंज।

उपायुक्त साहेबगंज
दिनांक १५.५.२०१५ हाप उत्पाद अपत्र २१ दंड
वर्ष २०१५-१६ के लिए नवीकृत।

उपायुक्त साहेबगंज के संलिङ्ग आडेप
दिनांक १५.५.२०१६ हाप उत्पाद अपत्र २१ दंड
वर्ष २०१६-१७ के लिए नवीकृत।

उपायुक्त साहेबगंज
दिनांक १५.५.२०१६ हाप उत्पाद अपत्र २१ दंड
वर्ष २०१६-१७ के लिए नवीकृत।

उपायुक्त साहेबगंज के संलिङ्ग आडेप
दिनांक २१.३.२०१५ हाप उत्पाद अपत्र
२१ दंड वर्ष २०१५-१६ के लिए नवीकृत।

उपायुक्त साहेबगंज
दिनांक २१.३.२०१५ हाप उत्पाद अपत्र २१ दंड
वर्ष २०१५-१६ के लिए नवीकृत।

प्रतिलिख एकरारनामा

सर्वश्री मान. रा. बिं. का० ली. ऊपर नामित अनुज्ञाधारी इसमें इसके पूर्व लिखित और व्यक्त बंधेजों और शर्तों के निर्वहन और पालन करने के लिए अपनी ओर से और अपने अधिकृत प्रतिनिधियों की ओर से करार करता हूँ और अपने को आबद्ध करता हूँ।

तारीख :- 1/10/2013

साक्षी :- ANAND KUMAR SINGH

पता :- S.C MEMORIAL SCHOOL BADNADIH, JASIDIH
Post- JASIDIH, DIST- DEOGHAR (JHARKHAND)

हस्ताक्षर

 24/9/13

Managing Director
Jharkhand State Beverages Corporation Limited
Ranchi.

उत्पाद प्रपत्र संख्या—IB

विदेशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) भण्डारण एवं बिक्री के लिए थोक अनुज्ञाप्ति जिसके तहत कॉरपोरेशन के गोदाम से जिला के खुदरा अनुज्ञापिधारियों को आपूर्ति हो ।

(केवल झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिंग, राँची के लिए)

जिला का नाम - साहेलगंज

रजिस्टर सं०.०१. में लाइसेंस सं०.०१.

लाइसेंस की तारीख.....

अनुज्ञाधारी का नाम सर्वे श्री कारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन

लाइसेंस अवधि १-१०-२०३ से ३१-३-२०५ तक चालू

बिक्री गोदाम का स्थान कल्पाड़ी, पट्टुड़

उत्तर:- विमला केडिया का मकान पूरब - रेलवे एसिया
चौहदी दास्ताः - रेलवे क्वार्टर पारिघाट - लोकल अपार कै० पै० सै०

वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस ६,००,०००/- रुपये ।

अग्रिम रूप में भुगतान रु० ६,००,०००/-

विदित हो कि सर्वे श्री झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिंग को जिला के उपायुक्त दिनांक १-१०-२०३ से ३१ मार्च, २०५ तक पेय विदेशी शराब के भण्डारण एवं थोक बिक्री के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं, ताकि जिला के खुदरा अनुज्ञापिधारियों को इसकी आपूर्ति हो सके ।

१- इस लाइसेंस के चालू रहने की शर्त के रूप में लाइसेंसधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित अनुच्छेदों और सभी उत्पाद शुल्क लाइसेंसों पर लागू सामान्य शर्तों का सम्यक रूप से और निष्ठापूर्वक पालन करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा ।

२- झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार को जिला के लिए स्वीकृत अनुज्ञाप्ति के लिए अग्रिम के रूप में वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस रु० ६,००,०००/- रुपये का

भुगतान करेगा । वह वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का भुगतान संबंधित जिला स्थित कोषागार/उप कोषागार में करेगा ।

:: 2 ::

3— (क) अनुज्ञाधारी किसी भी खुदरा विक्रेता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा ।

(ख) अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन अमिश्रित सादा स्पिरिट या परिशोधित स्पिरिट नहीं बेचेगा ।

4— अनुज्ञाधारी अनुज्ञाप्ति परिसर में मद्यपान नहीं करने देगा ।

5— अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन 25 डिग्री यू०पी० शक्ति से कम शक्ति का छिस्की, ब्राण्डी, वोदका, रम एवं जीन का बिक्री नहीं करेगा ।

6— अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन अनुमोदित परिसर के अलावे कहीं और बिक्री हेतु विदेशी शराब/बीयर संचय नहीं करेगा वशर्ते कि इसके लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की गयी हो ।

7— अनुज्ञाधारी विदेशी शराब/बीयर उधार नहीं बेचेगा/एवं थोक बिक्री हेतु इसका पर्याप्त स्कन्ध बनाये रखेगा ।

8— अनुज्ञाधारी मदिरा एवं उसके लेबल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा जिसकी भण्डारण की गई हो ।

9— अनुज्ञाधारी अनुज्ञाप्ति परिसर में विदेशी शराब/बीयर के स्कन्ध एवं बिक्री का पूरा ब्यौरा प्रतिदिन लेखा पंजी में अंकित करेगा । समय—समय पर निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा इसकी जाँच की जा सकेगी ।

10— अनुज्ञाधारी किसी को भी जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा निर्गत पास के बिना मदिरा की बिक्री नहीं करेगा ।

11— अनुज्ञाधारी अनुज्ञाप्ति परिसर में मदिरा के पेटियों को ब्राण्डवार इस प्रकार संग्रहित करेगा कि उसे निरीक्षण के समय सत्यापन में सहुलियत हो ।

12— अनुज्ञाधारी किसी भी ब्राण्ड की सात पेटी से अधिक पेटियों को एक के ऊपर एक नहीं रखेगा ।

- 13— अनुज्ञाधारी की शर्तों के उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जा सकेगा।
- 14— अनुज्ञाधारी गोदाम के कार्य करनेवाले प्रबन्धन एवं कार्य करनेवाले अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची आयुक्त उत्पाद को देना सुनिश्चित करेगा।
- 15— अनुज्ञाधारी समय—समय पर आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत सामान्य तथा विशेष निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

:: 3 ::

- 16— अनुज्ञाधारी उत्पाद अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली का अनुपालन करेगा तथा उससे आबद्ध रहेगा।
- 17— अनुज्ञाधारी राज्य में लागू सभी संबंधित विधि/नियम/अधिसूचना/संकल्प एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करेगा।
- 18— अनुज्ञाधारी राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवस को मंदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

टिप्पणी :- ऊपर लिखित किन्हीं शर्तों या उत्पाद शुल्क लाईसेंसों पर लागू सामान्य शर्तों का उल्लंघन होने पर यह लाईसेंस जप्त कर दिया जायेगा और लाईसेंसधारी विधि या नियम द्वारा विहित सभी या किन्हीं दण्ड का भागी होगा।

स्थान :-

तिथि :-

उपायुक्त साहेबगंज के
संचिन आडेप दिनों
1.4.2016 हाए उत्पाद
उपका बंला - 1B वर्ष
2016-17 के लिए
1992 के 1/2016
उपायुक्त उत्पाद
1/4/2016 साहेबगंज

उपायुक्त साहेबगंज के संचिन
आडेप दिनों
1.4.2016 हाए उत्पाद
उपका बंला - 1B वर्ष
2015-16 के लिए नवीकृत
- 1B वर्ष 2015-16 के लिए नवीकृत

अधीक्षक उत्पाद
साहेबगंज
1/4/2016

मा
भा
उपायुक्त
साहेबगंज।

उपायुक्त साहेबगंज के संचिन
आडेप दिनों 29.3.2014 हाए
उत्पाद उपका बंला - 1B वर्ष
2015-16 के लिए नवीकृत।

उपायुक्त
अधीक्षक उत्पाद
साहेबगंज
30/3/15

प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिवरेजे ज कॉरपोरेशन लि०, राँची द्वारा प्राधिकृत गोदाम
मैनेजर / विक्रेताओं की सूची

| जिला | नाम | पिता का नाम | उम्र | स्थायी पता | गेदाम मैनेजर / विक्रेता का हस्ताक्षर | लाईसेंसधारी / अनुज्ञा धारी के प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|-------|----------------|----------------|------|---|---------------------------------------|--|
| PAKUR | ANAND KR SINGH | BITAY KR SINGH | 24 | S.C MEMORIAL SCHOOL, BADNADIH JASIDIH. Post - JASIDIH DIST - DEOGHAR (JHARKHAND) | Anandkr Singh <i>Anandkr Singh</i> | Anandkr Singh |